संख्याः नि0 158 / 3–5 (वन्य जन्तु परीक्षण)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन / फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

1– आहरण वितरण अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2– आहरण वितरण अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी, (I.T. h.c)
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

देहरादूनः दिनांकः 27 जुलाई, 2021

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–02–110–08–00–वन्य जन्तु परीक्षण ,बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रो का विकास " के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या 1120 / X–2–2021–12(34)2021 दिनांक 13 मई,2021 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं संलग्न अलॉटमेंट आई.डी.S21050270001 दिनांक 13.05.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–02–110–08–00–वन्य जन्तु परीक्षण ,बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रो का विकास" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट ₹3,02,40,000 / –(₹तीन करोड़ दो लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त / जारी की गयी धनराशि ₹1,50,05,000 / –(₹एक करोड़ पचास लाख पॉच हजार मात्र) के अंतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹10,00,000 / –(₹दस लाख मात्र) का **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन बजट विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है :–

1–समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–423/9(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4–आवंटित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5–निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

6–बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाय।

7– आवंटित / जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

8– संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या–1 से 7 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन्य जन्तु परीक्षण ,बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रो का विकास" हेतु सक्षम स्तर /अपर प्रमुख वन संरक्षक,नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड से निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

–2 / –

संख्याः नि0 158 (1)/3–5 (वन्य जन्तु परीक्षण) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित बि. नम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।

2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ,देहरादून एवं हरिद्वार उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

7– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9– मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल,उत्तराखण्ड।

10– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।

11–उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

I.T.G.C.

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-158/3-5

आवंटन आई डी-H21070270203

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-27-JUL-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

02-Environmental Forestry and wild Life

110-वन्य जीवन परिरक्षण

08-वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास (2406 01 800 15 से स्थानान्तरित)

00-0

Voted

2	4	0	6	0	2	1	1	0	0	8	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	500000
योग	0	500000	0	500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,00,000 (Rupees Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2107:0203

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Haridwar(6500)

DDO-DFO Haridwar Forest DivisionHaridwar(4256)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-158/3-5

आवंटन आई डी-H21070270204

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-27-JUL-2021

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	02-Environmental Forestry and wild Life
	110-वन्य जीवन परिरक्षण	08-वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास (2406 01 800 15 से स्थानान्तरित)
	00-0	Voted

2	4	0	6	0	2	1	1	0	0	8	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	500000
योग	0	500000	0	500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,00,000 (Rupees Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2107:0204

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून